''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2004—अग्रहायण 19, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री आर. पी. बगई, भा.प्र.से. (1970) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग एवं आयुक्त, परिवहन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विमानन विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री बगई द्वारा विमानन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक ढांड, सचिव, विमानन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्रीमती रेणु जी पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं संचालक, बजट को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, संस्थागत वित्त का प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं संचालक, संस्थागत वित्त को एतद्द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त के प्रभार से कार्यमुक्त करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिरीक्षक, पंजीयन का प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्रीमती रेणु जी पिल्ले द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. बेहार, संचालक, संस्थागत वित्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

क्रमांक एफ 6-6/2002/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य अतिथि नियम-2003 से संबंधित अधिसूचना को दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को जारी किया गया. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

अधिसूचना की श्रेणी-एक के अनुक्रमांक-7 जिसमें भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति का उल्लेख है, के पश्चात् अनुक्रमांक 7-ए के रूप में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अंतर्स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक ई-7/3/2004/1/2/लीव.—डॉ. (श्रीमती) इन्दिरा मिश्र, भा.प्र.से. को दिनांक 8-11-2004 से 8-12-2004 तक (31 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 7-11-2004 का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मिश्र, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. मिश्र को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मिश्र, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक ई-7/16/2003/1/2/.—श्री आर. डी. मीना, भा.प्र.से., तत्का. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 15-9-2004 से 17-9-2004 तक (3 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री मीना, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीना, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2004

क्रमांक 1893/ग्रामो/04.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा-04 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृपाराम साहू को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईशिता राय, संयुक्त सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ 10-7/2001/20.—छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के उपखण्डों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सदस्यों के रूप में नाम-निर्दिष्ट करती है :—

1. उपखण्ड (एक) के अंतर्गत—मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्यों/प्रधान अध्यापक :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री दानीराम वर्मा	प्राचार्य, हाईस्कूल भटभेरा, सिमगा जि. रायपुर.
2.	श्री चंद्रशेखर स्वर्णकार	प्राचार्य, स. शि. मंदिर सारंगढ़
3.	कु. शैल शांडिल्य	प्राचार्य, जे. आर. दानी शा. क. उ. मा. वि. रायपुर

2. उपखण्ड (दो) के अंतर्गत—अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्राचार्य :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री सी. एस. नाग	प्राचार्य, बी. टी. आई. कांकेर

3. उपखण्ड (तीन) के अंतर्गत—मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के छ: अध्यापक जिनमें कम से कम एक महिला :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	सुश्री सुलभा पाण्डे	व्याख्याता, शा. महारानी लक्ष्मीबाई उ. मा. शा. बिलासपुर
2.	श्री पारसराम वोरा	हिन्दू उ. मा. वि. (राष्ट्रपति पुरुस्कृत शिक्षक) रायपुर
3.	श्री अर्जुन लाल मेश्राम	सुरगी जिला राजनांदगांव
4.	सुश्री इरावत भूषण परगनिहा	वरिष्ठ अध्यापिका स. शि. मं. रोहिणीपुरम रायपुर
5.	श्री संजय जोशी	गुजराती उ. मा. वि. रायपुर
6.	श्रीमती नवनीत कमल	सहा. शिक्षिका शा. उ. मा. वि., जगदलपुर

4. उपखण्ड (चार) के अंतर्गत—स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन ऐसे व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं चलाते हों :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री उद्धव मोटवानी	जूना, जिला बिलासपुर
2.	श्री सुरेश सिंह ठाकुर	लिलि चौक, प्रतिभा एस.टी.डी.पी.सी.ओ. रायपुर
3.	श्री गौरीशंकर व्यास	बुढ़ापारा, रायपुर.

5. उपखण्ड (पांच) के अंतर्गत—छत्तीसगढ़ विधान सभा के पांच सदस्य :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	मान. श्री विजयनाथ सिंह	लुण्ड्रा
2.	मान. श्री चंदूलाल साहू	राजिम
3.	मान. श्री लच्छुराम कश्यप	चित्रकोट
4.	मान. श्री संजीव शाह	चौकी
5.	मान. श्री भरत साय	तपकरा

6. उपखण्ड (छः) के अंतर्गत—ऐसे हित का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न हुआ हो :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री भास्कर राव येरपुड़े	गायत्री शक्ति पीठ समता कॉलोनी, रायपुर
2.	श्री बी. एच. नायडू	से. नि. सहा. जिला शा. निरीक्षक, डी-78, शैलेन्द्र नगर, रायपुर

7. धारा 4 (1) (झ) के अंतर्गत—स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एक प्राचार्य :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)
1.	श्री जी. पी. मिश्रा	प्राचार्य, शास. पी. जी. कॉलेज, अंबिकापुर

2. उपरोक्त नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ 10-7/2001/20.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23, 1965) की धारा 4 (1) (ज) के अंतर्गत विश्वविद्यालय से श्रीमती इन्दू अनंत कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को पदेन सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2004

क्रमांक 7012/डी-2487/21-ब/छ.ग./04.—राज्य शासन एतद्द्वारा, दिनांक 1-11-2004 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए अपने विभाग का आदेश क्रमांक 989/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 10/24-02-2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

(1) स्वयं तथा उनके आश्रितों के शासकीय चिकित्सालयों तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में किये गये उपचार तथा औषधि क्रय में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन करेगा.

(2) उन्हें रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार) प्रतिमाह सचिव सहायक भत्ता स्वीकृत किया जाता है.

(3) नित्य प्रतिदिन के आकस्मिक कार्यों के संचालन के लिए ली जाने वाली सेवाओं हेतु वर्तमान में स्वीकृत रु. 1500/- (रु. पन्द्रह सौ) प्रतिमाह अर्दली भत्ता वृद्धि कर रुपये 2000/- (रु. दो हजार) प्रतिमाह किया जाता है.

(4) उन्हें रु. 1500/- (रु. पन्द्रह सौ) केवल तक प्रतिमाह दूरभाष सुविधा प्रदान किया जाता है.

उपरोक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (573) उच्च न्यायालय (भारित) के अंतर्गत क्रमशः 01-वेतन भत्ते आदि, 009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, 008 अन्य भत्ते, 02-मजदूरी, 04-कार्यालय व्यय, 002-दूरभाष व्यय शीर्षान्तर्गत प्रावधानित राशि में से विकलनीय होगा.

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 02/ब-3 दिनांक 25-10-04 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2004

क्रमांक 1121/1536/2004/स्था./चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 1-12-2004 से निम्नानुसार 38 उपकोषालयों में कोषालय धनादेश/चैक प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

स. क्र. (1)	जिला कोषालय का नाम (2)	उपकोषालय का नाम (3)
1.	दुर्ग	1. बालोद
		2. बेमेतरा
		3. दल्लीराजहरा
		4. साजा
		5. भिलाई
2.	राजनांदगांव	6. डोंगरगढ़
		7. खैरागढ़
		8. चौकी
		9. छुईखदान
		10. मोहला
3.	महासमुन्द	11. सराईपाली

(1)	(2)	(3)
4.	बस्तर	12. कोण्डागांव
		13. नारायणपुर
		14. केशकाल
5.	कांकेर	15. भानुप्रतापपुर
		16. चारामा
		17. अन्तागढ़
6.	दंतेवाड़ा	18. भोपालपट्टनम
		19. बीजापुर
		20. सुकमा
		21. कोन्टा
7.	बिलासपुर	22. मुंगेली
		23. पेन्ड्रा
8.	रायगढ़	24. धर्मजयगढ़
		25. सारंगढ़
		26. खरसिया
		27. घरघोड़ा
9.	सरगुजा	28. रामानुजगंज
		29. सूरजपुर
		30. कुसमी
		31. वाड्रफनगर
		32. सीतापुर
10.	जांजगीर	33. सक्ती
		34. डभरा
11.	जशपुर	35. बगीचा
		36. पत्थलगांव
12.	कोरिया	37. मनेन्द्रगढ़
		38. जनकपुर

Raipur, the 25th November 2004

No. 1121/1536/2004/Estt./IV.—The State Government hereby accords sanction to implement Treasury Cheque System at the following 38 Sub Treasuries w.e.f. 1-12-2004 namely :—

S. No. (1)	Name of District Treasury (2)	Name of Sub Treasury (3)
1.	Durg	1. Balod 2. Bemetara 3. Dallirajhara 4. Saja 5. Bhilai
2.	Rajnandgaon	6. Dongargarh 7. Khairagarh 8. Chowki 9. Chhuikhadan 10. Mohla
3.	Mahasamund	11. Saraipali
4.	Bastar	12. Kondagaon 13. Narayanpur 14. Keshkal
5.	Kanker	15. Bhanupratappur 16. Charama 17. Antagarh
6.	Dantewada	18. Bhopalpattnam 19. Bijapur 20. Sukma 21. Konta
7.	Bilaspur	22. Mungeli 23. Pendra
8.	Raigarh	24. Dharmjaygarh 25. Sarangarh 26. Kharsia 27. Gharghora
9.	Surguja	28. Ramanujganj 29. Surajpur 30. Kusmi 31. Wadrafnagar 32. Sitapur
10.	Janjgir	33. Sakti 34. Dabhara
11.	Jashpur	35. Bagicha 36. Pathalgaon
12.	Koria	37. Manendragarh 38. Janakpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ-9-137/दो/गृह/04.—कृषि विभाग के कृषि कार्यपालिक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जुलाई, 2004 को प्रश्नपत्र लेखा प्रथम (पुस्तकों सहित), लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुधार सिंह पैंकरा	कृषि विकास अधिकारी	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, विशेष सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ 5-15/2001/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती विद्या गोवर्धन, विट्ठल मंदिर तिलक नगर, बिलासपुर, छ. ग. को जिला फोरम, बिलासपुर में महिला सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

Raipur, the 19th November 2004

No. F 5-15/food/2001/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) the State Government of the recommandation of the Selection Committee, hereby appoints Smt. Vidhya Goverdhan, Vithal Mandir, Tilak Nagar, Bilaspur (C.G.) as the member in the District Consumer Forum, Bilaspur with effect from the date her taking over the charge of the office.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 6794/डी-2794/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 10-11-2004 द्वारा श्री मैनदास माहिलकर, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं इस विभाग को सौंपी गयी है, के अनुक्रम में श्री मैनदास माहिलकर को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक एफ-5-17/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 5750/डी-2292/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 21-9-2004 द्वारा अरूण कुमार प्रधान, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) कांकेर, छत्तीसगढ़ को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवाएं इस विभाग को सौंपी गयी थी, के अनुक्रम में श्री अरूण कुमार प्रधान को अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, राजनांदगांव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था. उनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग को उनके ज्ञापन क्रमांक 6792/डी-2794/21-ब/छ. ग./04 दिनांक 10-11-2004 के अनुक्रम में वापस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2004

क्रमांक 1531/3085/32/03—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 406/3085/32/03 दिनांक 16-4-2004 द्वारा विकास योजना बिलासपुर 2001 में उपान्तरण प्रस्तावित किये गये थे, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. प्रकाशित सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति सुझाव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम परसदा, बिलासपुर के खसरा क्र. 841/1 (भाग) 953, 954 (भाग) कुल रकबा 04.00 एकड़ को सूचना में किये गये उल्लेख अनुसार बिलासपुर विकास योजना 2001 में निर्धारित भू-उपयोग नगरीय वन तथा पर्यावरण वानिकी से औद्योगिक (राखड़ ईंट प्लांट) में उपान्तरण करने की पुष्टि करती है तथा सूचित करती है कि यह उपान्तरण विकास योजना बिलासपुर 2001 का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 8682/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	चिल्हाटी प. ह. नं. 3	1.193	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 नवम्बर 2004

क्रमांक 8683/भू-अर्जन/2004 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	जाड़ेटोला प. ह. नं. 22	0.324	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) डोंगरगांव.	मोंगरा बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना के कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक 02/क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	परसाही प.ह.नं. 16	0.247	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	शनिचराडीह जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1278.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चाम्पा प.ह.नं. 2	0.324	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक 2, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8499/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्सीटिकुल, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.024
12	0.186
13/1	0.138
13/2	0.036
95/1	0.158
98/2	0.138
99/1	0.223
101/1	0.138
103/3, 103/2	0.194
97/1	0.008
101/3	0.040
101/5	0.057
101/6	0.057
102	0.186
2/2	0.279
योग 15	1.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8500/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.290 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
293/2	0.053
342	0.008
289/7	0.012
293/1	0.138
293/2	0.138
342/5	0.004
340	0.049
367	0.012
377/1	0.324
369/1	0.980
378/2	0.040
371/1	0.057

(1)	(2)
375	0.255
376	0.174
377/2	0.085
644	0.142
667/1	0.162
667/2	0.154
670/2	0.315
670/5	0.020
679/2	0.061
693/1	0.551
924/2	0.053
916	0.356
917/1	0.190
926	0.295
918	0.049
289/4	0.227
342	0.032
924/1	0.053
289/5	0.016
342/3	0.016
342/2	0.032
679/1	0.162
688	0.101
917/2	0.190
925	0.291
927	0.291
928	0.202
योग 39	6.290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8501/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कुमरदा, प. ह. नं. 61
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.012 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
693/1	0.283
671	0.405
693/2	0.284
692	0.162
691	0.162
694	0.166
585/2	0.040
695	0.190
312/1	0.049
362/1	0.121
696	0.214
699/1	0.186
697/1	0.101
312/2	0.125
697/2	0.226
363/2	0.061
697/3	0.061
699/2	0.186
362/2	0.109
497	0.299
342/2	0.081
700/1	0.101
700/2	0.121
702	0.182
370	0.113
704	0.040
666	0.328
667/3	0.304
392/1	0.202
664/5	0.190
664/2	0.202
664/3	0.377
664/4	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
664/6	0.024	407	0.036
650	0.279	369/2	0.032
663	0.559	373	0.304
409/1, 409/3	0.105	358	0.348
437/2	0.008	357/5	0.045
652/1	0.445	347/3	0.138
551/1	0.190	344	0.085
652/3	0.251	348	0.057
369/3	0.049	343/1	0.085
645	0.045	647/2	0.061
646	0.109	603	0.020
312/3	0.097	496	0.020
647/2	0.061	392/2	0.166
648	0.012	345	0.243
649	0.016	341	0.134
600	0.081	323/1	0.69
602	0.081	291/1	0.032
601	0.065	324	0.474
604	0.263	690	0.020
583/1	0.219	311	0.231
583/3	0.214	305	0.255
585/1	0.081	296/5	0.057
585/3	0.069	296/6	0.101
586	0.101	307	0.061
551/2	0.121	295/5	0.032
553/1	0.061	294/2	0.073
534	0.206	294/1	0.077
494	0.089	292/2	0.252
496	0.020	291/2	0.069
488/2	0.089	291/3	0.016
489	0.008	641	0.008
487	0.028	643	0.008
485/1	0.020	552	0.267
484/1	0.142		
484/2	0.243	योग 109	15.012
435/2	0.154		
435/3	0.085		
435/5	0.028		
435/4	0.194		
437/1	0.028		
436	0.154		
406	0.089		
393	0.210		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8502/तक./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-दानीटोला, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4	1.684
9	0.729
15	1.761
30	0.591
12	0.922
24	0.753
14	0.413
17	0.648
32	0.372
16/1	1.092
16/2	1.218
31	0.462
38/4	0.202
38/1	0.546
40	0.660
योग	12.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज निर्माण के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8503/तक./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-मुंजाल, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.293 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
158/3	0.146
161/3	0.065
164/3	0.190
164/4	0.273
164/5, 164/6	0.506
161/4	0.074
164/2	0.170
162	0.445
164/1	0.323
167	0.101
योग	2.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज निर्माण के अंतर्गत डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8504/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-मोंगरा, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.770 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
121/8	0.138
376/20	0.095
376/17	0.027
376/18	0.078
376/19	0.028
117	0.078
129/2	0.289
129/1	0.020
130	0.044
131	0.230
132	0.406
292	0.182
111/4	0.010
477/9	0.040
111/3	0.324
477/7	0.111
294	0.166
473	0.174
451/1	0.466
378	0.004
261	0.134
267	0.237
477/3	0.089
350	0.241
477/4	0.442
474/1	0.085
474/2	0.078
474/3	0.040
474/4	0.060
476/1	0.074
476/2	0.047
379	0.118
380/1	0.104
320	0.281
369/1	0.055
369/2	0.491
322	0.326
318/4	0.158
318/1	0.129
313	0.011
319	0.427
314	0.247
312	0.364
324	0.114
122	0.200
248/5	0.220
348/4	0.200
348/7	0.168
113/1	0.531
125	0.364
126	0.106
263/1	0.584
251/6	0.037
251/2	0.204
451/14	0.035
451/12	0.223
376/2	0.033
431/21	0.369
451/10	0.030
443/19	0.195
376/23	0.073
443/13	0.174
121/7	0.022
443/15	0.069
443/16	0.242
443/18	0.085
376/21	0.046
443/2	0.162

	(1)	(2)
	315	0.268
	351	0.155
	352	0.028
	443/6	0.229
	443/7	0.003
	443/1	0.282
	391	0.077
	331	0.021
	443/4	0.108
	448/3	0.084
	348/9	0.251
	348/2	0.107
	330/1	0.026
	332/1	0.398
	142	0.034
	443/21	0.006
	392	0.059
योग	85	13.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा वैराज परियोजना बायीं तट नहर निर्माण के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा परियोजना जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8505/तक./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-झिटिया, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.359 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	386	0.154
	384/1	0.316
	384/2	0.036
	384/3	0.122
	383/2	0.105
	389	0.049
	391	0.526
	392	1.157
	393	0.413
	328	0.340
	321	0.101
	327	0.850
	324	0.514
	320	0.101
	306/4	0.575
योग		5.359

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज के अंतर्गत मुख्य नहर एवं डूबान.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8506/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-अछोली, प. ह. नं. 70
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
71/3	0.117
82/2	0.591
142	0.162
144/3, 144/4	0.308
145/2	0.255
146	0.113
155/16	0.053
163/2	0.008
308/1	0.032
318/2	0.093
162/2	0.150
169/1	0.008
166/1	0.129
169/1	0.324
169/2	0.255
170/1	0.162
170/2	0.142
174	0.032
295/2	0.065
296/10	0.097
296/13	0.057
296/34	0.138
302/1	0.081
302/5	0.275
302/7	0.036
302/2	0.231
302/3	0.166
302/4	0.069
302/6	0.186
306	0.113
307	0.028
308/2	0.186
309/1	0.077
309/2	0.073
324/6	0.150
324/8	0.045
325/1	0.069
325/2	0.069
325/3	0.085
326	0.121
328	0.129
327	0.069
329	0.012
330/1	0.049
289/1	0.057
289/2	0.057
305/2	0.186
324/5	0.336
144/2	0.093
161	0.490
162/1	0.255
163/9	0.012
295/3	0.040
295/1	0.008
308/1	0.032
323/1, 323/2	0.138
324/5	0.336
योग 57	7.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक 8507/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सोमा झिटिया, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.982 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
244	0.352
247	0.012
324	0.210
323/2	0.073
242	0.372
323/1	0.526
246	0.324
322	0.279
323/3	0.372
255/1	0.077
255/2	0.077
255/3	0.077
245	0.231
योग 13	2.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज डोंगरगांव वितरक शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2004

संशोधित आदेश

क्रमांक-एफ/134/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2004/2292.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-20 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिक निगम जगदलपुर के आम निर्वाचन हेतु [illegible]नुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

परिशिष्ट-1

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)
1.	(i) [illegible]र्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त [illegible]ना.	21, 22	09-12-2004
	(ii) स्थान[illegible] (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	22 "क"	09-12-2004
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	09-12-2004

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	21 (क)	15-12-2004 अपरांह 3.00 बजे
3.	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	16-12-2004
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	20-12-2004 अपरांह 3.00 बजे
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	20-12-2004
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	30-12-2004
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	01-01-2005

हस्ता./-
(**ओंकार सिंह**)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.